विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र- 4613

परिशिष्ट 'अ'

12

अनुशासनिक कार्यवाहियाँ
(DISCIPLINARY PROCEEDINGS)

शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियाँ जैसे निलम्बन, विभागीय जांच, शास्ति अधिरोपित करना तथा उनके विरुद्ध अपील की प्रक्रिया म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में उल्लेखित संवैधानिक नियमों के अन्तर्गत की जाती हैं। इसका गंभीरता से अध्ययन करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में शासन के नियमों और आदेशों को 'अनुशासनिक कार्यवाहियां' नामक पुस्तक में संकलित किया गया है।

(क) निलंबन- निलंबन एक ऐसी प्रशासनिक कार्यवाही है, जिसके द्वारा एक शासकीय सेवक को कुछ समय के लिए, उसके विरुद्ध जांच के चलते काम करने से रोक दिया जाता है।

कब तक निलंबित रखा जाता है- जब तक उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित रहें अथवा जहां उसके विरुद्ध आपराधिक आरोपों के संबंध में जांच-पड़ताल या न्यायालय में मामला विचाराधीन रहे।

कब निलंबित किया माना जाता है- जब किसी शासकीय सेवक को किसी मामले में पुलिस द्वारा 48 घंटों से अधिक समय के लिए निरुद्ध रखा गया हो। कर्तव्यों से निलंबित किया माना जाता है तथा बाद में औपचारिक आदेश जारी किये जाना आवश्यक हैं।

भ्रष्टाचार के मामले में निलम्बन तथा बहाली- म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अनुसार भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में शामिल दाण्डिक अपराध में शासकीय सेवक के विरुद्ध चालान प्रस्तुत करने पर उसे सदैव निलंबित किये जाने का प्रावधान है।

इस प्रकार किया गया निलंबन आदेश तब तक प्रतिसंहृत नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उसके बारे में सरकार द्वारा कारण स्पष्ट करते हुए आदेश पारित नहीं कर दिया जाए।

राज्य सरकार ने अनुभव किया है कि इस प्रकार के प्रकरणों में निर्णय होने में काफी समय लगता है। ऐसी स्थिति में शासकीय सेवक लंबे समय तक निलंबित ही बना रहता है। यह स्थिति न तो शासन के हित में है और न ही शासकीय सेवक के हित में।

अतः उपरोक्त स्थिति पर विचार कर राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि निलंबन आदेश शासकीय सेवक के प्रशासकीय विभाग द्वारा उस दशा में प्रतिसंहृत किया जा सकेगा जब संबंधित प्रकरण में न्यायालय का विनिश्चय तीन वर्ष की समयावधि के अन्दर नहीं किया जा सका है। निलंबन अवधि का निराकरण संबंधित प्रकरण में न्यायालय के अंतिम आदेश पारित होने के बाद ही नियमानुसार किया जावेगा। [सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-6-1/2002/3/एक, दिनांक 6-11-2002]

शासकीय सेवकों को अनावश्यक निलंबित नहीं करना- शासन द्वारा यह निर्णय प्रसारित किया गया है कि किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध जांच में आरोपों के स्वरूप को देखते हुए प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत हो कि संबंधित शासकीय सेवक पर पदच्युति, सेवा से हटाया जाना अथवा अनिवार्य सेवा निवृत्ति जैसी कोई मुख्य शास्ति अधिरोपित की जा सकती है, तभी उसे निलंबित किया जाय अर्थात्

लघु शास्ति के मामले में निलंबित नहीं किया जाना चाहिए।

2. मुख्य शास्ति हेतु संस्थित विभागीय जांच में यदि किसी शासकीय सेवक पर जांच उपरान्त लघु शास्ति ही अधिरोपित की जाती है तो उसका निलंबन औचित्यपूर्ण नहीं माना जा सकता। अतः राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों में संबंधित शासकीय सेवक की निलंबन अवधि को मूलभूत नियम 54-बी के परिप्रेक्ष्य में कर्तव्य अवधि मान्य कर निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन-भत्ते (शासकीय सेवक को निलंबन अवधि में भुगतान किये गये "जीवन निर्वाह भत्ते" की राशि का समायोजन कर) दिये जाएँ। यह निर्णय इस ज्ञापन के प्रसारित होने की तिथि से लागू माना गया है तथा जिन प्रकरणों में निर्णय लिया जा चुका है उन्हें पुनः नहीं खोला जावेगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-6/01/2005/एक/3, दिनांक 13-1-2005]

1. निलंबित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी

नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी जिसके कि वह अधीनस्थ हो या अनुशासनिक प्राधिकारी या उस सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया कोई अन्य प्राधिकारी किसी शासकीय सेवक को निलम्बित कर सकेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निलंबन करते समय म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (2) (क) के अनुसार निलंबन आदेश में निलंबन के कारणों को अनिवार्य रूप से स्पष्ट किया जाये। अपचारी शासकीय सेवक को निलंबित करने के आदेश केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही दिये जायें। [सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-6-7/92/3/1, दिनांक 30-1-92]

2. आरोप पत्र देने की समयावधि

शासकीय कर्मचारी को जिस आधार पर निलम्बित किया गया है के सम्बन्ध में आरोपित पदों, अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की, और उन दस्तावेजों तथा साक्षियों की, जिनके द्वारा प्रत्येक आरोप पद का प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, की सूची की एक प्रति निलम्बन आदेश के दिनांक से 45 दिन की कालावधि के भीतर जारी की जाना चाहिये :

परन्तु जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी राज्य सरकार है, वहाँ यह अवधि 90 दिन होगी। यदि इस अवधि के भीतर आरोप-पत्र प्रदान नहीं किया जाता है तो निलंबन आदेश स्वतः समाप्त हुआ समझा जायेगा :

परन्तु उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व राज्य शासन के आदेश से निलंबन अवधि 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है, परन्तु जहाँ अनुशासनिक अधिकारी राज्य शासन हो वहां आरोप-पत्र निर्धारित 90 दिन की कालावधि के भीतर जारी करना आवश्यक है, अन्यथा आदेश प्रतिसंहृत (Revoked) हो जायेगा। निलंबन की अवधि 90 दिन से अधिक किसी भी दशा में बढ़ाई नहीं जा सकेगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी 6-2/92/3/1, दिनांक 20-5-92]

यदि निलम्बन आदेश के दिनांक से 45 या 90 दिन के बाद भी आरोप पत्र आदि जारी नहीं होता हो तो निलम्बन आदेश स्वतः प्रतिसंहृत हो जाएगा और ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण निलम्बन अवधि समस्त प्रयोजनों के लिये ड्यूटी अवधि मानी जाएगी। किन्तु यह अपराधिक या अभियोजन के मामलों में लागू नहीं होगा।

3. निलम्बन के विरुद्ध अपील

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी. 5-6-87-3-XLIX, दिनांक 1-10-1988 द्वारा वर्गीकरण नियम 23 तथा 27 में किए गए संशोधन के अनुसार नियम 9 के अधीन